कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 44 / 2024

श्री राजपाल C/O मोहन सिहं निवासी गोठिया थोक सुन्दरावली तहसील नगर भरतपुर पिन नं. 321205 मो. नं. 9928660125

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 18.10.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री राजपाल C/O मोहन सिहं निवासी गोठिया थोक सुन्दरावली तहसील नगर भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 652 दिनांक 27.09.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक सू.का.अ. / निर्वा. / 2024 / 6401 दिनांक 08.10.2024 से रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) नगर को लिखा जाकर पत्रांक 6402 से प्रतिलिपि न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई है। जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि कार्यालय के पत्रांक 6199 दिनांक 21.8.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र धारा 6 (3) के अन्तर्गत मूल प्रार्थना पत्र अंतरित कर रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) नगर को भिजवाया गया था।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर के स्तर पर लम्वित न होकर रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) नगर के स्तर पर लम्बित है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह वांछित सूचना हेतु रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) नगर कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नियमानुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर डीग को अपील प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर